Form No.III

फर्द अहमका

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड एवं उपजिला मजिस्ट्रेट

बनेडा जिला भीलवाडा(राज.)

अजा अदालत उपखण्ड अधिकारी बनेडा मुकाम बनेडा

श्री रामचन्द्र गुर्जर वगै0 **बनाम** भंवर सिंह दरोगा वगै0

किस्म मुकदमा ....प्रा.पत्र 212 आर.टी.एक्ट प्र.संख्या 100/15

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकमा जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
08.02.2018	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। वकील अप्रार्थी उपस्थित। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एंव मूल राजस्व वाद संख्या 100/2015 का अध्ययन एंव परिक्षण किया गया। प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर अधिवक्ता विपक्षी द्वारा एकपक्षीय बहस करना चाहने से बहस प्रार्थनापत्र पर सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थनापत्र में वर्णित कलमों को दौहराते हुए निवेदन किया कि विवादित आराजी संख्या 642/599 रकबा 04-05 बीघा भूमि विपक्षीगण द्वारा तत्कालीन खातेदारान से सप्रतिफल जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर कब्जे में प्राप्त की है। राजस्व अभिलेखो में प्रक्रियात्मक रूप से विपक्षीगणों ने अपने नाम जरिये इंतकाल संख्या 507 दिनांकित 05.05.2015 को दर्ज करवायी तत्पश्चात पत्थरगढी आदेश दिनांक 05.06.2015 पत्थरगढी करवा विवादित आराजीयात पर काबिज है। जिस पर विपक्षीगण काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रस्तुत वादपत्र के माध्यम से चाहा गया स्थायी निषेधाज्ञा अनुतोष किसी रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध पारित किये जाने का कानूनन प्रावधान नही है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र सारहीन व असत्य होकर सव्यय खारीज होने योग्य है। प्रार्थी अधिवक्ता को अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कितनी ही मर्तबा आवाजे लगाये जाने के उपरान्त भी प्रार्थीगण स्वयं अथवा उनकी और से कोई वैद्य प्रतिनिधि प्रार्थनापत्र में पैरवी करने अथना अप्रार्थीगण के तर्को का खण्डन प्रस्तुत करने हेतु हाजिर नही आया। हमने अभिभाषक विपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर ममन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध आधार अभिलेख राजस्व रेकार्ड का अध्ययन व अवलोकन किया। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 212 आर.टी.एक्ट. बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। प्रकरण मूल वाद संख्या 100/2015 के साथ नत्थी रहे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बनेडा जिला भीलवाडा	